राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,राजस्थान, जयपुर
फोन न. 0141–2221463, Email ID: uhcrajasthan@gmail.com

F- 42(504)/NHM/HWC/CHO/ 2022-23/ 235 दिनांकः– 05/08/2022

आदेश

उप स्वास्थ्य केन्द्र परिवर्तित हैल्थ वैलनेस सेन्टर पर कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) का उत्तरदायित्व (ToR) निम्न प्रकार होगाः–

सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, (सीएचओ) का उत्तरदायित्व (ToR)

1. स्वास्थ्य कल्याण केंद्र (उप स्वास्थ्य केंद्र) के निर्धारित क्षेत्र के सभी घरों को सूचीबद्ध करते हुए राज्य सरकार की निर्देशानुसार/आवश्यकतानुसार डेटा बेस (डिजिटल/दस्तावेज) तैयार करेंगे।
2. स्वास्थ्य कल्याण केंद्र (उप स्वास्थ्य केंद्र) पर कार्यरत ए.एन.एम. एव आशा के साथ दल के रूप में कार्य करते हुए उनके निर्धारित कार्यो का पर्यवेक्षण करते हुए उन्हें सहयोग प्रदान करेंगे।
3. दीर्घकालिक रोगों के लिए चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञों से समन्वय बनाते हुए उनके द्वारा निर्धारित उपचार एवं अन्य सलाहों के अनुरूप कार्य करते हुए दवा वितरण का कार्य करेंगे।
4. उक्त कार्य चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञों से ई–संजीवनी टेलीमेडिसिन के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के अनुसार ही सम्पादित किया जाना है। स्वास्थ्य कल्याण केंद्र (उप स्वास्थ्य केंद्र) पर सप्लाई की जाने वाली दवाएं अनुसूची "K" के बिंदु संख्या 23 के प्रावधानों के अनुरूप वितरित करेंगें।
5. सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी स्क्रीनिंग के दौरान पाए गए संदिग्ध रोगियों (संचारी एवं गैर संचारी रोगों से ग्रसित) की पुष्टि चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञों से समन्वय स्थापित करते हुए करवाएंगे एवं उनके द्वारा प्रदत्त सलाह के अनुरूप कार्य करेंगे।
6. महामारी, आपात स्थिति और आपदा प्रबन्धन हेतु स्थानीय स्थितियों के अनुसार स्थानीय पंचायती राज संस्थान एवं उच्च अधिकारियों के साथ समन्वय बनाते हुए कार्य करेंगे और बीमारी के प्रकोप के नियन्त्रण हेतु गठित चिकित्सा दल/संयुक्त जाँच दलों को सहयोग प्रदान करेंगे।
7. स्वास्थ्य कल्याण केंद्र (उप स्वास्थ्य केंद्र) के प्रभारी होने के फलस्वरूप समस्त प्रकार की रिपोर्टिंग (ऑनलाइन/ऑफलाइन), इन्वेंट्री प्रबंधन एवं अन्य प्रशासनिक गतिविधि करना सुनिश्चित करेंगे।
8. अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को सहयोग करते हुए जनसंख्या आधारित डेटा के संग्रह एवं विश्लेषण करते हुए पर्यवेक्षण का कार्य करेंगें। विश्लेषण के दौरान पाई गई कमियों के निवारण हेतु समयबद्ध योजना बनाते हुए लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करेंगें एवं संधारित डेटा के विश्लेषण की तथ्यात्मक रिपोर्ट से उच्चाधिकारियो को अवगत करवाते हुए मार्गदर्शन प्राप्त करेंगें।
9. विभिन्न सामुदायिक मंच जैसे VHSNC एवं पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए जन साधारण के स्वास्थ्य सम्बन्धित आवश्यक व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करेंगे।
10. स्वास्थ्य के सामाजिक और पर्यावरण सम्बन्धी निर्धारकों के मुद्दों यथा लिंग आधारित हिंसा, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, कचरे का सुरक्षित संग्रहण, अपशिष्ट जल का उचित निपटान, वायु प्रदूषण, पर्यावरण इत्यादि के लिए विशिष्ट खतरों जैसे फ्लोरोसिस, सिलिकोसिस, आर्सेनिक आदि से फैलने वाले संक्रमण आदि के समाधान हेतु सम्बन्धित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को जानकारी उपलब्ध करवाएंगे।

11. समुदाय के स्वास्थ्य की गुणवत्ता हेतु जन साधारण के स्वास्थ्य व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।
12. समस्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को विभागीय निर्देशानुसार अपने क्षेत्र में सम्पादित करेंगे।
13. राज्य की समस्त फ्लेगशिप योजनाओं/कार्यक्रम को अपने क्षेत्र में सम्पादित करेंगे।
14. स्वास्थ्य कल्याण केंद्र (उप स्वास्थ्य केंद्र) की सेवाओं की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत भारत सरकार से प्रमाणित करवाने हेतु कार्य करेंगे जिससे भारत सरकार से संस्थान एवं स्टाफ को पृथक से प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो सके।
15. स्वास्थ्य कल्याण केंद्र (उप स्वास्थ्य केंद्र) को कायाकल्प कार्यक्रम के अर्न्तगत अपने संस्थान को प्रथम स्थान पर लाने का प्रयास करेंगे जिससे भारत सरकार से संस्थान एवं स्टाफ को पृथक से पुरस्कार राशि प्राप्त हो सके।
16. स्वास्थ्य कल्याण केंद्र (उप स्वास्थ्य केंद्र) पर माह में 10 दिन के लिये वेलनेस सेशन का आयोजन करेंगें इसके लिए प्रशिक्षित योगा शिक्षक/शारीरिक शिक्षक से समन्वय बनाते हुए सम्बधित चिकित्सा अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करेंगें।
17. राज्य सरकार/चिकित्सा विभाग द्वारा उक्त कार्यो के अतिरिक्त समय समय पर प्रदत्त निर्देशानुसार अन्य कार्य भी सम्पादित करेंगे।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0 क0
एवं मिशन निदेशक,एनएचएम

F- 42(504)/NHM/HWC/CHO/ 2022-23/ 235 दिनांकः–05/08/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक,एनएचएम।
2. परियोजना निदेशक, एनएचएम।
3. विशेषाधिकारी, एनएचएम।
4. निदेशक, वित्त एनएचएम।
5. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
6. समस्त परियोजना निदेशक, एनएचएम।
7. राज्य नोडल अधिकारी, समस्त कार्यक्रम एनएचएम।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचनार्थ।
9. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (हैल्थ) को सूचनार्थ।
10. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक को आवश्यक पालनार्थ।
11. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
13. समस्त ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक को आवश्यक पालनार्थ।
14. समस्त सामुदायिक स्वस्थ्य अधिकारी, सीएचओ को आवश्यक पालनार्थ।
15. प्रभारी, सर्वर कक्ष को सम्बन्धित को ई–मेल एवं विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

(सुरेश कुमार यादव)
परियोजना निदेशक
एनएचएम

HWC829